# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.04.2021 जनपद देवरिया।

## त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत लाइसेंस शस्त्र धारक द्वारा शस्त्र जमा न करने पर पंजीकृत किया गया अभियोग।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद देवरिया के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों को जनपदीय पुलिस द्वारा जमा कराया जा रहा है, जिसमें लोगों द्वारा उक्त चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने शस्त्रों को संबन्धित थानों, शस्त्र दुकानों पर जमा किया गया है। जिनके द्वारा शस्त्र नहीं जमा किये गये हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में थाना एकौना पुलिस द्वारा 01.राम विकास यादव उर्फ विक्रम सिंह पुत्र इन्दर सा0 डढ़िया थाना एकौना, देवरिया के विरूद्ध थाना एकौना पर मु0अ0सं0–18/2021 धारा–30 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के क्रम में जनपद देवरिया के शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की जाती है कि वह अपने शस्त्र को 24 घण्टें में जमा करें अन्यथा उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके शस्त्र निरस्तीकरण संबन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।